# अध्याय-4

# अग्निशमन सेवा विभाग की तैयारी

# अध्याय 4: अग्निशमन सेवा विभाग की तैयारी

## गृह विभाग

**विभाग ने न तो आग की दृष्टि से संवेदनशील भवनों का जोख़िम विश्लेषण किया तथा न ही खतरनाक उद्योगों का कोई डाटाबेस तैयार किया। विभाग के पास ऐसे भवनों की पहचान के लिए लोक लेखा समिति की सिफारिश के बावजूद राज्य में ऊंचे भवनों का कोई डाटाबेस नहीं था। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1984, विभाग को अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के लिए परिसर में प्रवेश करने/ जांच करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अशक्त है क्योंकि इसमें मानदंडों का पालन न करने के लिए अनुपालन एवं दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के प्रावधान नहीं हैं। नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों में पानी के पर्याप्त एवं विश्वसनीय स्रोत नहीं थे। राज्य में 115 अग्निशमन वाहनों के अनुमोदित बेड़े की संख्या के प्रति केवल 85 अग्निशमन वाहन उपलब्ध थे। जबकि उसी समय 2018-21 के दौरान विभाग ने 'मोटर वाहन' के अंतर्गत ₹ 6.22 करोड़ का बजट अभ्यर्पित किया। अपेक्षित 5,055 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रति केवल 728 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध थे। आग लगने की घटनाओं के बारे में प्रथम सूचना देने के लिए आबंटित यूनिक टोल-फ्री नंबर (101) राज्य में किसी भी अग्निशमन-चौकी में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित अग्निशमन-चौकी द्वारा सूचना प्राप्त करने एवं प्रतिक्रिया करने में देरी हुई। परिचालन कर्मियों के स्वीकृत 938 पदों की संख्या के विरुद्ध 257 (28 प्रतिशत) पद रिक्त थे, जिससे अग्नि-नियंत्रण केन्द्रों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 2018-21 के दौरान विभाग ने कार्य के प्रति अग्निशामकों की उपयुक्तता (फिटनेस) का पता लगाने के लिए कोई शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण नहीं किया। नमूना-जांच किए गए 22 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों में अग्नि से हुई घटनाओं में देरी से प्रतिक्रिया की गई।**

### 4.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। इससे पहले राज्य में अग्निशमन सेवा विभिन्न नगर समितियों/ निगमों के नियंत्रण में कार्य करती थी। राज्य में अग्निशमन सेवा को प्रभावी रूप से बनाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 (2000 में संशोधित) अधिनियमित किया। विभाग ने अग्निशमन सेवा अधिनियम के अधिनियमन हेतु कोई नियम तैयार नहीं किए। विभाग की प्राथमिक भूमिका अग्नि व अन्य आपदाओं से जान-माल की रक्षा करना है। विभाग के उत्तरदायित्वों में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों एवं विस्फोटक एवं अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित या उपयोग करने वाले औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु अग्नि सुरक्षा स्वीकृति जारी करना एवं उनका अनुपालन करना, अग्नि सुरक्षा

दिशानिर्देश जारी करना, अग्नि रिपोर्ट जारी करना तथा राज्य में आपदा प्रबंधन तैयारियों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रदर्शनों/ प्रशिक्षणों/ जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है।

अग्निशमन सेवा विभाग का प्रधान निदेशक होता है, जिसे एक मुख्य अग्निशमन अधिकारी[1] एवं तीन मण्डलीय अग्निशमन अधिकारियों[2] द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2021 तक विभाग के पास 65 अग्निशमन नियंत्रण केन्द्र थे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 25 अग्निशमन स्टेशन व उप-अग्निशमन स्टेशन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 40 अग्निशमन चौकियां शामिल थी। अग्नि-नियंत्रण केंद्रों का नेतृत्व एक स्टेशन अग्निशमन अधिकारी या अग्रसर प्रशामक द्वारा किया जाता है, जो जिले के मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी या आदेशक (कमांडेंट) होम गार्ड की समग्र देखरेख में कार्य करता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियों का पता लगाने हेतु 2011-16 की अवधि को सम्मिलित करते हुए 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन हेतु एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा में अन्य के साथ, अग्निशमन सेवा विभाग की कमियों का आकलन कर उन्हें चिह्नित किया गया तथा अग्निशमन सेवा विभाग को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई थी। इस निष्पादन लेखापरीक्षा पर 13वीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति में चर्चा की गई (दिसंबर 2019), जिसमें समिति ने कुछ सिफारिशें जारी की थी।

समग्र अग्नि सुरक्षा तैयारियों में अद्यतन/ सुधार, मानदंडों/ नियमों के अनुपालन तथा पूर्व में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने का पता लगाने की दृष्टि से, लेखापरीक्षा ने वर्तमान प्रणालियों व प्रक्रियाओं की समीक्षा की है। वर्तमान लेखापरीक्षा का उद्देश्य सौंपे गए कार्यकलापों को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा की गई आगे की योजना का आकलन करना था; नियामक ढांचे का अनुपालन उच्च स्तर की तैयारी में परिणत होता है और प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, लेखापरीक्षा ने व्यय; नियोजन; कानूनी ढांचा; बुनियादी ढांचे व उपकरणों की उपलब्धता; जनशक्ति; प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण; तथा हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम (1984) में निर्धारित प्रासंगिक मानदंडों के संदर्भ में अग्नि की घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया समय; गृह मंत्रालय की स्थायी अग्नि सलाहकार समिति/ परिषद की सिफारिशें; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अग्निशमन सेवाओं की स्तरीकरण (स्केलिंग), उपकरण के प्रकार व प्रशिक्षण के दिशानिर्देश; भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 (भाग-4) से संबंधित मुद्दों की

---

1 अग्निशमन सेवा निदेशालय, शिमला में नियुक्त।

2 मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, बल्देयां, शिमला; मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन मण्डल शिमला; मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी, निदेशालय शिमला।

जांच की गई। विभाग द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति पर भी नीचे प्रासंगिक विषय में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा ने 2018-2021 की अवधि के दौरान किए गए क्षमता निर्माण गतिविधियों की नमूना-जांच की। नमूना-जांच किए गए इकाइयों में अग्निशमन सेवा निदेशालय, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र एवं 65 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों[3] में से 23 अग्नि-नियंत्रण केन्द्र (12[4] अग्निशमन स्टेशन व 11[5] अग्निशमन चौकियां) शामिल थे।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों में अभिलेखों की संवीक्षा, विभागीय उत्तरों का विश्लेषण एवं पांच में संयुक्त भौतिक निरीक्षण शामिल था। 2018-2021 के दौरान नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में अग्नि की 5,301 घटनाएं हुईं, जिसमें 117 मानव एवं 43 मवेशियों की जान का नुकसान हुआ तथा साथ ही ₹ 479.28 करोड़ मूल्य की संपत्ति की अनुमानित हानि हुई।

## 4.2 बजट एवं व्यय

विभाग के पास वर्ष 2018-21 हेतु ₹ 159.03 करोड़ का कुल बजट था, जिसके प्रति इसने ₹ 140.83 करोड़ का व्यय किया। व्यय के मुख्य शीर्ष वेतन (₹ 61.77 करोड़), मुख्य निर्माण कार्य (₹ 25.49 करोड़), मोटर वाहन क्रय (₹ 6.54 करोड़) एवं मशीनरी व उपकरण (₹ 4.54 करोड़) थे।

2018-21 के दौरान विभाग के बजट व व्यय की प्रास्थिति **तालिका-4.1** में दर्शाई गई है।

**तालिका-4.1: बजट एवं व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | बजट आबंटन | | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | योजनागत | 14.00 | 13.99 | 0.01 | 0.01 |
| | आयोजनेत्तर | 37.37 | 35.81 | 1.56 | 4.17 |
| 2019-20 | योजनागत | 10.72 | 6.51 | 4.21 | 39.27 |
| | आयोजनेत्तर | 43.83 | 34.98 | 8.85 | 20.19 |
| 2020-21 | योजनागत | 10.00 | 9.53 | 0.47 | 4.70 |
| | आयोजनेत्तर | 43.11 | 40.00 | 3.11 | 7.21 |
| | **योग** | **159.03** | **140.82** | **18.21** | **0.01 से 39.27** |

*स्रोत: अग्निशमन सेवा निदेशालय।*

[3] आग लगने की घटनाओं की संख्या के आधार पर स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से नमूना मानदंड के रूप में चुना गया।

[4] अग्निशमन स्टेशन रोहडू, तिलक नगर, पोंटा साहिब, ऊना, सोलन, धर्मशाला, बिलासपुर, बद्दी, काँगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व मनाली।

[5] अग्निशमन चौकी अम्ब, डाडासीबा, फतेहपुर, नगरोटा बगवां, ज्वालामुखी, ठियोग, कुमारसैन, टाहलीवाल, जोगिन्दर नगर, बैजनाथ व सुजानपुर।

वर्ष 2019-20 के दौरान बचत अधिक हुई। विभाग अपनी योजनागत निधियों का 39 प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर निधियों का 20 प्रतिशत भी खर्च करने में सक्षम नहीं था, जो खराब वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। इसके अतिरिक्त 2020-21 में आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत बचत भी उल्लेखनीय थी।

**लेखापरीक्षा निष्कर्ष**

## 4.3 नियोजन

### 4.3.1 अग्निशमन स्टेशन/ अग्निशमन चौकी की स्थापना

राज्य में 12 जिले एवं 108 तहसीलें हैं। राज्य सरकार के 2019 के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक अग्निशमन स्टेशन एवं प्रत्येक तहसील में एक उप-अग्निशमन स्टेशन/ अग्निशमन चौकी खोली जानी है। इस प्रकार, राज्य में कम से कम 120 अग्नि नियंत्रण केंद्र (12 अग्निशमन स्टेशन व 108 उप-अग्निशमन स्टेशन/ अग्निशमन चौकी) होने थे। यद्यपि मार्च 2021 तक केवल 65 अग्निशमन नियंत्रण केन्द्र (22 अग्निशमन स्टेशन, 3 उप-अग्निशमन स्टेशन व 40 अग्निशमन चौकियां) स्थापित किए गए। इन 65 अग्निशमन नियंत्रण केंद्रों में से 17 अग्निशमन नियंत्रण केंद्र 2018-21 के दौरान स्थापित किए गए थे।

विभाग ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

### 4.3.2 राज्य हेतु व्यापक योजना बनाना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2012 का परिच्छेद 3.3.1 सम्पूर्ण राज्य में जनशक्ति एवं उपकरण की पूर्ण आवश्यकता की गणना करने के लिए राज्य हेतु व्यापक योजना बनाने का प्रावधान करता है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में, दिशानिर्देशों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले खतरनाक सामग्रियों का निपटान करने वाले सभी उद्योगों के लेखांकन एवं संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रावधान करना है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने कोई अग्नि-संवेदनशीलता विश्लेषण नहीं किया था तथा खतरनाक गतिविधियों में लिप्त उद्योगों का कोई डाटाबेस भी तैयार नहीं किया था। विभाग के पास राज्य में ऊंचे भवनों का भी कोई डाटाबेस नहीं था, यद्यपि लोक लेखा समिति ने अग्नि की चपेट में आ सकने वाले भवनों की पहचान करने एवं इसके लिए रिकॉर्ड बनाने की सिफारिश की थी। विभाग ने खतरनाक उद्योगों के लेखांकन के लिए सर्वेक्षण न किए जाने एवं अग्नि की चपेट में आने वाले भवनों का सर्वेक्षण न करने के लिए कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया।

### 4.3.3 अग्नि सुरक्षा स्वीकृति

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 3.2.2 में सभी ऊंचे भवनों, कॉलोनियों, आवासीय समूहों, व्यापार केंद्रों, मॉल आदि के लिए अग्निशमन सेवा विभाग से अनिवार्य स्वीकृति अपेक्षित है; यदि भवन/ भवन-अधिभोगी अग्नि सुरक्षा अपेक्षाओं (जैसे, उचित अग्नि सुरक्षा उपकरण, निकासी मार्गों, पार्किंग स्थानों, आदि) को पूरा नहीं करते, तो ऐसे भवनों को सील करने का प्रावधान होना चाहिए; एवं यह कि उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी व दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम के प्रावधान अशक्त थे क्योंकि वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों में परिकल्पित सभी प्रकार के भवनों के लिए अग्निशमन विभाग से अनिवार्य स्वीकृति प्रदान नहीं करते थे। अधिनियम की धारा 15ए में केवल 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों व विस्फोटक/ अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों का निपटान करने वाली औद्योगिक इकाइयों/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संबंध में अग्निशमन विभाग से अनिवार्य स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित न करने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान नहीं थे, यहां तक कि उन भवनों के लिए भी जहां यह लागू था।

विभाग को स्वयं की संतुष्टि के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने से पूर्व भवन/ अधिभोग द्वारा अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन का निरीक्षण करना होता है तथा अनुपालन न होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं करना होता है। तथापि, भवन के स्वामी/ अधिभोगियों द्वारा कमियों पर अनुपालन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई एवं न ही ऐसे निरीक्षण के दौरान जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर कोई दण्डात्मक उपबंध (यथा भवन-अधिभोग को सील करना) निर्धारित किए गए।

हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 की धारा 9(1) में कहा गया है कि राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र में स्थित या किसी भी वर्ग के परिसरों, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जो उसकी राय में अग्नि का खतरा पैदा कर सकते हैं, के स्वामियों अथवा अधिभोगियों से ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट सावधानियां बरतने की अपेक्षा कर सकती है। यह विभाग के कर्मचारियों को किसी भी अधिसूचित स्थान में प्रवेश करने का अधिकार देता है ताकि वे उन मदों अथवा माल को सुरक्षित स्थान पर हटाने की जांच/ निर्देशित कर सकें जो अग्नि के जोखिम का कारण बनने की संभावना रखते हैं। तथापि, अधिनियम में ऐसे अनुपालन में कमी पाए जाने की स्थिति में किसी दण्डात्मक उपबंध का प्रावधान नहीं है।

**विद्यालयों एवं अस्पतालों द्वारा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न करना-**

उच्चतम न्यायालय ने एक स्कूल में अग्नि लगने की घटना पर संज्ञान लेते हुए (अप्रैल, 2009) प्रत्येक स्कूल को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करने का निर्देश दिया। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के अस्पतालों में अग्नि लगने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए एवं गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय भवन संहिता के अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अस्पतालों व निजी अस्पतालों (नर्सिंग होम) के नियमित निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए राज्यों को परामर्शी-पत्र (एडवाइजरी) जारी किए।

अग्निशमन सेवा विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि 2018-21 की अवधि के दौरान राज्य के 2,806 सरकारी स्कूलों में से केवल 55 स्कूलों ने अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी 99[6] प्रमुख सरकारी अस्पतालों ने अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था। हालांकि, राज्य के कानूनी ढांचे में कोई दण्डात्मक उपबंध नहीं थे इसलिए उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा उच्चतम न्यायालय तथा गृह मंत्रालय के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। इस प्रकार, इन भवनों में कार्यरत/ आवागमन करने वाली आम जनता का जीवन हमेशा जोखिम में रहा।

**अग्निशमन सेवाएं विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना-**

नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में से तीन[7] में लेखापरीक्षा ने अग्निशमन सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ 24 भवनों[8] का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया (अगस्त-सितंबर 2021 व फरवरी 2022)। भवनों का चयन उन में से किया गया था जिन्होंने अग्निशमन सेवाएं विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 24 भवनों में से 17 को अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन करने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। शेष सात भवनों में निरीक्षण के 08 से 93 माह के बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन नहीं किया गया। अनिवार्य स्वीकृति/ आवश्यकता अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं दण्डात्मक प्रावधान के अभाव में विभाग भवन मालिकों/ अधिभोगियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में असमर्थ था।

अग्निशमन सेवा विभाग ने बताया कि उन आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए जिन्होंने अपने भवनों में अग्नि सुरक्षा उपायों को अपनाने के बाद विभाग से संपर्क किया था।

---

6 राज्य सरकार के जोनल, क्षेत्रीय व सिविल अस्पताल।

7 अग्निशमन स्टेशन बद्दी, सोलन व तिलकनगर।

8 जैसाकि भारत के एनबीसी 2016 भाग- IV में निर्धारित है आवासीय, शैक्षिणक, संस्थागत, सम्मेलन (असेंबली), व्यवसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, भंडारण एवं जोख़िम भरे भवन।

तथ्य यह रहा कि विभाग अनुपालन न करने वाले संस्थानों को सक्षम नियमों के अभाव के कारण समय पर अग्नि सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सका। अनुपालन न करने वाले संस्थानों पर अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने हेतु कानूनी ढांचे में आवश्यक प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।

## 4.4 बुनियादी ढांचा एवं उपकरण

### 4.4.1 भवन अवसंरचना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों (2012) के परिच्छेद 3.4.2 में अग्नि नियंत्रण केन्द्र की स्थापना के दौरान बुनियादी आवश्यकताओं जैसे वाहन पार्किंग, कार्यालय/ स्टोर कक्ष, उपकरण कक्ष आदि हेतु स्थान की सिफारिश की गई है। लेखापरीक्षा में 23 अग्निशमन नियंत्रण केन्द्रों (12 अग्निशमन स्टेशन व 11 अग्निशमन चौकियां) पर चार आयामों-पार्किंग सुविधाओं, पृथक कार्यालय/ नियंत्रण/ स्टोर/ विश्राम कक्ष, कंप्यूटर सुविधाओं एवं स्वयं के भवन के प्रति बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की स्थिति की जांच की। स्थिति **तालिका-4.2** में दर्शाई गई है।

**तालिका-4.2: नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता**

| क्र. सं. | मापदण्ड | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | पार्किंग सुविधा | 13 | 10 |
| 2 | पृथक कार्यालय/ नियंत्रण/ स्टोर कक्ष | 19 | 04 |
| 3 | कंप्यूटर सुविधा | 12 | 11 |
| 4 | स्वयं के भवन | 09 | 14 |

नमूना-जांच किए गए किए गए 23 अग्निशमन नियन्त्रण केन्द्रों में से 10 में स्वयं की पार्किंग सुविधाओं का अभाव एक महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन विभाग की उपेक्षा को परिलक्षित करता है। अग्निशमन वाहनों को खुली सड़कों/ सामान्य क्षेत्र (नीचे चित्र देखें) पर पार्क किया जा रहा था क्योंकि उनका स्वयं का कोई पार्किंग स्थल नहीं था। इससे विकट मोड़ों पर अग्निशमन वाहनों की आवाजाही में बाधा होने का जोख़िम पैदा हुआ जिससे प्रतिक्रिया के समय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अग्निशमन चौकी ठियोग व जोगिंद्रनगर में सड़क पर खड़े अग्निशमन वाहन

### 4.4.2 जल-स्रोत/ अग्निशमन हाइड्रेंटस

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के दिशानिर्देशों (2012) के परिच्छेद 3.4.3.1 में विशेषरूप से पहाड़ी क्षेत्रों में अग्निशमन हेतु पर्याप्त जल की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की सिफारिश की गई है। ये दिशानिर्देश शहरों में अग्निशमन हाइड्रेंटस की नियमित जांच की सिफारिश करते हैं ताकि उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके।

नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों पर यह देखा गया कि -

- छ:[9] अग्नि नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से जल के प्राकृतिक/ अन्य स्रोतों पर निर्भर थे एवं इन छ: केंद्रों में से दो में जल स्रोत 10 व 12 किलोमीटर दूर स्थित थे।

- 17 अग्नि नियंत्रण केंद्र[10] उनकी जल की आवश्यकताओं के लिए अग्निशमन हाइड्रेंटस पर निर्भर थे। तथापि, इन 17 केन्द्रों में अग्निशमन हाइड्रेंटस का एक बड़ा अनुपात कार्य नहीं कर रहा था जैसाकि **तालिका-4.3** में यथाविस्तृत रूप से दिया गया है।

**तालिका-4.3: नमूना-जांच किए गए 23 में से 17 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में अग्निशमन हाइड्रेंटस की स्थिति**

| वर्ष | उपलब्ध अग्निशमन हाइड्रेंटस की संख्या | कार्यशील अग्निशमन हाइड्रेंटस की संख्या | कार्य न करने की स्थिति वाले अग्निशमन हाइड्रेंटस की संख्या (%) |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 385 | 264 | 121 (31) |
| 2019-20 | 395 | 321 | 74 (19) |
| 2020-21 | 403 | 326 | 77 (19) |

*स्रोत: अग्निशमन सेवा विभाग के अभिलेख।*

- यहाँ तक कि कार्यशील अग्निशमन हाइड्रेंटस में भी पानी की उपलब्धता में विलम्ब पाया गया। तीन[11] अग्नि नियंत्रण केन्द्रों में नमूना-जांच किए गए तीन अग्निशमन हाइड्रेंटस में से दो में संयुक्त भौतिक निरीक्षण[12] के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि सोलन (माल रोड पर स्थापित) में नमूना-जांच किए गए (अगस्त 2021) अग्निशमन-हाइड्रेंट में पानी को हाइड्रेंट तक पहुंचने में 57 मिनट लगे। जोगिन्दरनगर (अमरटैक्स में स्थापित) में

9 बैजनाथ-12 किलोमीटर, कुमारसैन-10 किलोमीटर, डाडा सीबा, टाहलीवाल, फतेहपुर व ठियोग।

10 अग्निशमन स्टेशन रोहड़ू, तिलकनगर, पांवटा साहिब, ऊना, सोलन, धर्मशाला, बिलासपुर, बद्दी, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व मनाली; तथा अग्निशमन चौकी अंब, नगरोटा बगवाँ, ज्वालामुखी, सुजानपुर व जोगिंद्रनगर।

11 अग्निशमन स्टेशन सोलन, अग्निशमन चौकी जोगिन्दरनगर व सुजानपुर।

12 अग्रसर प्रशामक द्वारा नमूना-जांच के लिए हाइड्रेंट में पानी छोड़ने के लिए नगर निगम/ परिषद/ स्थानीय निकाय प्राधिकरण को फोन करने के बाद हाइड्रेंटस में पानी की उपलब्धता की जांच की गई।

अग्निशमन-हाइड्रेंट परीक्षण की जांच में पानी को हाइड्रेंट तक पहुंचने में 18 मिनट लगे। अग्निशमन हाइड्रेंटस में जल की उपलब्धता में विलंब हेतु समर्पित जल आपूर्ति पाइपलाइन की अनुलब्धता को जिम्मेदार ठहराया गया था।

### 4.4.3 अग्निशमन वाहन

राज्य सरकार ने अग्नि नियंत्रण केंद्र के प्रत्येक स्तर (अग्निशमन स्टेशन/ उप अग्निशमन स्टेशन/ अग्निशमन चौकी) पर अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता के मानदंडों[13] (अप्रैल 2017) को अनुमोदित किया था। सरकार ने स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार फायर टेंडर/वाहनों हेतु 5000 घंटे (स्टेशनरी प्रचालन) या 10 वर्ष के मानदंड/ पैरामीटर[14] भी निर्धारित किए थे।

अनुमोदित मानदंडों के अनुसार विभाग को अपने बेड़े में कम से कम 115 अग्निशमन वाहन रखने थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इस अपेक्षित बेड़े के प्रति केवल 85 अग्निशमन वाहन उपलब्ध थे एवं यहाँ तक कि उपलब्ध वाहनों में से 32 वाहनों ने 10 वर्षों के अपने अधिकतम अनुशंसित जीवन को भी पूरा कर लिया था।

**तालिका-4.4: राज्य में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता**

| क्र. सं. | अग्निशमन वाहनों के प्रकार | स्वीकृत बेड़े की संख्या | वाहनों की उपलब्धता | कमी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वाटर टैंडर टाइप-'बी' | 70 | 48 | 22 |
| 2. | वाटर टैंकर/ वाटर बाउजर | 22 | 17 | 5 |
| 3. | कंबाइंड फोम व सीओ2 टैंडर | 23 | 20 | 3 |
| **योग** | | **115** | **85** | **30** |

नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि 47 अग्निशमन वाहनों के अनुमोदित बेड़े के प्रति 3 श्रेणियों[15] में केवल 36 वाहन उपलब्ध थे।

2018-21 के दौरान अग्निशामक वाहनों में कमी के बावजूद मोटर वाहन क्रय करने के लिए प्राप्त ₹ 6.22 करोड़ के बजट का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि विभाग ने कमी के बावजूद अग्निशमन वाहनों के क्रय हेतु पर्याप्त रूप से योजना नहीं बनाई।

विभाग ने (मार्च 2022) बताया कि 2019-20 के दौरान क्रय किए गए बीएस IV अग्निशमन वाहनों में आवश्यकतानुसार चेसिस के निर्माण के लिए राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने, जिसमें समय लग सकता था जो 1 अप्रैल 2020 के बाद बीएस VI सम्मत न

---

[13] अग्निशमन स्टेशन- वाटर टैंडर टाइप-बी- 1 नंबर, वाटर बाउजर 1 नंबर, कंबाइंड फोम सीओ 2 टैंडर 1 नंबर एवं क्यूआरवी 1 नंबर; उपअग्निशमन स्टेशन- वाटर टैंडर टाइप-बी- 1 नंबर, वाटर बाउजर 1 नंबर, कंबाइंड फोम सीओ 2 टैंडर 1 नंबर व अग्निशमन चौकी- वॉटर टैंडर टाइप-बी- 1 नंबर व क्यूआरवी 1 नंबर।

[14] संख्या. फिन-एफ-(ए)-(11)-11/2004 दिनांक 7 सिंतबर 2020

[15] वाटर टैंडर टाइप-बी, वाटर बाउजर व कंबाइंड फोम सीओ 2 टैंडर।

होने के कारण पंजीकृत नहीं किए जा सकते थे, के कारण बजट अभ्यर्पित करना पड़ा। जीईएम (GeM) पोर्टल पर बीएस- VI मानक के अनुरूप वाहन उपलब्ध नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जीईएम पर उपलब्ध नहीं होने पर अन्य स्रोतों से वस्तुओं को क्रय करने की स्वीकृति देने के लिए अनुमति मांगी जा सकती थी तथा प्रस्तावों पर समय पर प्रक्रिया की जानी थी।

### 4.4.4 उपकरणों की कमी

- **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) -**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 7.5.1 में अग्निशमन कर्मचारियों के उपयोग के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता में भारी कमी देखी (मार्च 2021 तक) गई:

**तालिका-4.5: व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) की उपलब्धता**

| क्र. सं. | मद का नाम (पीपीई) | आवश्यक संख्या | उपलब्ध संख्या | कमी | कमी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हेलमेट | 398 | 222 | 176 | 44 |
| 2 | डोरी वाली पानी की बोतल | 382 | 0 | 382 | 100 |
| 3 | आँखों का सुरक्षा उपकरण | 402 | 4 | 398 | 99 |
| 4 | कानों का सुरक्षा उपकरण | 402 | 0 | 402 | 100 |
| 5 | स्टील की सुरक्षा वाले पैर के जूते | 402 | 0 | 402 | 100 |
| 6 | सुरक्षा सीटी | 390 | 103 | 287 | 74 |
| 7 | घुटनों के पैड | 402 | 0 | 402 | 100 |
| 8 | कार्य करने के लिए दस्ताने | 397 | 93 | 304 | 77 |
| 9 | समग्र अग्नि प्रतिरोधी सूट/ अग्नि में प्रवेश सूट/ अग्नि निकटता सूट/ अग्नि के दृष्टिकोण से आवश्यक सूट | 359 | 47 | 312 | 87 |
| 10 | व्यक्तिगत सुरक्षा लाइन (सैश कॉर्ड) 15" लंबाई | 375 | 4 | 371 | 99 |
| 11 | गम बूट/ सुरक्षा बूट/ अग्निशमन बूट | 393 | 41 | 352 | 90 |
| 12 | श्वास उपकरण | 384 | 45 | 339 | 88 |
| 13 | प्रशामक की कुल्हाड़ी | 369 | 169 | 200 | 54 |
| | **योग** | **5055** | **728** | **4327** | **86** |

इन महत्वपूर्ण न्यूनतम उपकरणों की उपलब्धता में कमी का अर्थ था कि अग्निशामक खतरे में थे, जो उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

विभाग ने बताया कि कोविड 19 महामारी के कारण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का क्रय नहीं किया जा सका, परन्तु 2020-21 व 2021-22 में जीईएम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने के आदेश दिए गए हैं।

- **संचार उपकरण-**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों (2012) के परिच्छेद 7.3.1 में प्रावधान है कि अग्निशमन सेवाओं में टेलीफोन, टेलीफैक्स, कंप्यूटरीकृत ध्वनि लॉगर, भौगोलिक सूचना प्रणाली, हैम रेडियो, स्थायी एवं गतिमान वायरलेस सेट तथा उपग्रह-आधारित संचार जैसे संपर्क उपकरण होने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अग्नि लगने की घटनाओं के बारे में प्रथम सूचना देने के लिए आबंटित यूनिक टोल-फ्री नंबर (101) केवल अग्निशमन स्टेशनों में उपलब्ध कराया गया था। लैंडलाइन टेलीफोन को छोड़कर राज्य में किसी भी अग्निशमन चौकी में संचार का कोई अन्य तरीका उपलब्ध नहीं था जिसके परिणामस्वरूप सूचना प्राप्त करने एवं प्रतिक्रिया करने के समय में विलंब हो सकता है।

इन उपकरणों की अनुपलब्धता से अग्नि लगने की घटनाओं की स्थिति में, विशेषरूप से दूरदराज के क्षेत्रों में संसूचना के आदान-प्रदान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी।

विभाग ने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण संचार उपकरणों की क्रय प्रक्रिया आरम्भ नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह के लॉकडाउन से पहले या बाद में क्रय किया जा सकता था।

- **झाग मिश्रण (फोम कंपाउंड) -**

अग्निशामक फोम कंपाउंड एक फोम है जिसका उपयोग अग्नि बुझाने के लिए किया जाता है। इसकी भूमिका अग्नि को शांत करने एवं आवृत्त करने तथा ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकना है, जिसके परिणामस्वरूप अग्नि का शमन होता है। स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति/परिषद की सिफारिश[16] के अनुसार प्रत्येक अग्निशमन स्टेशन में कम से कम 500 लीटर फोम कंपाउंड का स्टॉक किया जाना है।

संवीक्षा से उजागर हुआ कि मार्च 2021 तक नमूना-जांच किए गए 12 अग्निशमन केन्द्रों में से 10[17] में फोम कंपाउंड में 53 लीटर से 400 लीटर तक की कमी थी। फोम कंपाउंड की कमी से संबंधित फायर स्टेशनों की अग्निशमन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

---

[16] पहली से 38 वीं बैठक तक एस.एफ.ए.सी. की बैठकों के कार्यवृत्त का संकलन-पृ. सं. 637, बिंदु सं. 24

[17] अग्निशमन स्टेशन में उपलब्ध कुल फोम कंपाउंड- बद्दी: 100, बिलासपुर 330, धर्मशाला: 440, तिलक नगर 160, सोलन: 280, ऊना: 400, कांगड़ा 360, कुल्लू 447, मनाली 270, रोहड़ू 400

## 4.5 जनशक्ति प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण

### 4.5.1 जनशक्ति प्रबंधन

राज्य सरकार ने अग्निशमन नियंत्रण केन्द्रों में परिचालन कर्मचारियों की तैनाती के मानदंड निर्धारित[18] किए हैं।

मार्च 2021 तक विभाग में परिचालन कर्मचारियों की संवर्ग-वार स्थिति **तालिका-4.6** में दर्शाई गई है।

**तालिका-4.6: मार्च 2021 तक विभाग में परिचालन कर्मियों की स्थिति**

| संवर्ग | स्वीकृत पद | तैनात कर्मी | रिक्त पद | कमी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य अग्निशमन अधिकारी | 1 | 1 | 0 | 0 |
| अग्निशमन निवारण अधिकारी/ मंडलीय अग्निशमन अधिकारी | 3 | 3 | 0 | 0 |
| स्टेशन अग्निशमन अधिकारी | 10 | 6 | 4 | 40 |
| उप स्टेशन अग्निशमन अधिकारी | 35 | 24 | 11 | 31.43 |
| अग्रसर प्रशामक | 123 | 109 | 14 | 11.38 |
| प्रशामक | 578 | 377 | 201 | 34.78 |
| चालक-सह-पम्प ऑपरेटर | 188 | 159 | 29 | 15.42 |
| **योग** | **938** | **679** | **259** | **27.61** |

मार्च 2021 तक नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केन्द्रों में 353 परिचालन कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध 73 पद (21 प्रतिशत) रिक्त थे अर्थात् केवल 280 परिचालन कर्मी थे।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2021) कि रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। तथ्य यह रहा कि परिचालन कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने से अग्निशमन नियंत्रण केंद्रों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

### 4.5.2 प्रशिक्षण - राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र

विभाग का बल्देयां (जिला शिमला) में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र है। प्रशिक्षण केंद्र एक मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों, कर्मचारियों व होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए विभिन्न रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

[18] पत्र संख्या होम-एफ(ए)1-13/2019 दिनांक 12 मार्च 2020

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (2012) विभिन्न प्रकार की अग्नि से आपात स्थितियों के लिए यथार्थवादी परिदृश्यों में अग्निशामकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र में पर्याप्त बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं की सिफारिश करते हैं।

लेखापरीक्षा में बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, उपकरणों एवं पाठ्यक्रमों की उपलब्धता में कमियां पाई गई हैं जैसाकि **तालिका-4.7** में विवर्णित है।

**तालिका-4.7: राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता**

| क्र. सं. | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के मानदंडो के अनुसार आवश्यकता | उपलब्धता |
|---|---|---|
| 1 | अग्नि की रोकथाम के लिए प्रयोगशाला, ज्वलनशील रसायनों व विस्फोटकों के प्रशिक्षण | नहीं |
| 2 | अग्निशमन प्रशिक्षण के लिए सीमित स्थान में आउटडोर प्रशिक्षण संरचना का निर्माण | नहीं |
| 3 | व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए बचाव (रेस्क्यू) टॉवर | नहीं |
| 4 | अग्नि घटित होने के परिदृश्य से परिचित होने के लिए धुआं (स्मोक) कक्ष | नहीं |
| 5 | व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सिम्युलेटर | नहीं |
| 6 | पुस्तकालय | नहीं |
| 7 | निजी सुरक्षा उपकरण | सीमित संख्या में उपलब्ध |
| 8 | श्वसन उपकरण | सीमित संख्या में उपलब्ध |
| 9 | बाढ़ से बचाव के लिए विशेष उपकरण | सीमित संख्या में उपलब्ध |
| 10 | प्राथमिक चिकित्सा-किट | हाँ |
| 11 | रेडियो टेलीफोनी में विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया | नहीं |
| 12 | संचार प्रशिक्षण आयोजित किया | नहीं |
| 13 | हाइड्रेंट प्रशिक्षण के सजीव प्रदर्शन के लिए पानी की उपलब्धता | नहीं |
| 14 | टर्नटेबल सीढ़ी, हाइड्रोलिक प्लेटफ़ॉर्म | नहीं |
| 15 | स्टेशन अग्निशमन अधिकारी के रैंक तक अग्निशमन कर्मियों की तकनीकी दक्षता व शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन | प्रशिक्षण के समय किया गया |
| 16 | अग्निशमन हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरण/ वाहन | नहीं; प्रशिक्षण के लिए केवल फोम टेंडर एवं एक मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं |

### 4.5.3 परिचालन अग्निशमन कर्मियों हेतु शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण

स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति/परिषद की सिफारिशों[19] के अनुसार अग्निशमन एवं बचाव कार्यों में शामिल अग्निशामकों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु उपयुक्त (फिट) हैं, शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण हर छः माह में आयोजित किया जाना चाहिए।

[19] परिशिष्ट "11-जी", अग्निशामकों के लिए चिकित्सा मानकों पर उप-समिति की कार्यवाही।

अग्निशमन सेवा निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग में कार्यरत 679 परिचालन कर्मचारियों में से 437 (64%) 45 वर्ष से अधिक आयु के थे। विभाग ने उपरोक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार 2018-21 के दौरान कोई शारीरिक फिटनेस परीक्षण आयोजित नहीं किया।

## 4.6 प्रतिक्रिया समय

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों (2012) के परिच्छेद 7.2.2 में शहरी क्षेत्रों में 3 से 5 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के प्रतिक्रिया (रिस्पांस) समय की सिफारिश की गई है। विभाग में अग्नि की सभी घटनाओं का रिकार्ड घटना पुस्तिका (ओक्कुरेंस बुक) एवं अग्नि/ बचाव (फायर/ रेस्क्यू) कॉल रजिस्टर में रखा जाता है, जिसमें अग्नि लगने की घटनाओं का ब्यौरा, जैसे अग्नि लगने की सूचना, वाहनों की आवाजाही, अनुमानित हानि आदि का विवरण दर्ज किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में 2018-21 में नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में अग्नि की घटनाओं से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा की तथा पाया-

- अग्निशमन चौकी ठियोग ने अग्नि-घटित स्थल पर पहुंचने के समय का रिकॉर्ड नहीं रखा था।

- नमूना-जांच किए गए अन्य 22 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में शहरी क्षेत्रों में 59 प्रतिशत मामलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 41 प्रतिशत मामलों में विलम्ब से प्रतिक्रिया हुई, जैसाकि **तालिका-4.8** व **4.9** में विवर्णित है।

**तालिका-4.8: शहरी क्षेत्रों में अग्नि नियंत्रण केंद्रों में प्रतिक्रिया समय**

| वर्ष | मामलों की संख्या | निर्धारित समय के भीतर प्रतिक्रिया किए मामलों की संख्या (5 मिनट तक) (%) | विलंबित प्रतिक्रिया के मामलों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 - 15 मिनट | 16 - 25 मिनट | 26 - 35 मिनट | 35 मिनट से अधिक | विलंबित प्रतिक्रिया के मामलों की कुल संख्या (%) |
| **2018-19** | 733 | 297 (41%) | 362 | 55 | 15 | 4 | 436 (59%) |
| **2019-20** | 620 | 218 (35%) | 313 | 67 | 14 | 8 | 402 (65%) |
| **2020-21** | 498 | 237 (48%) | 213 | 31 | 10 | 7 | 261 (52%) |
| **योग** | **1851** | **752 (41%)** | **888** | **153** | **39** | **19** | **1099 (59%)** |

**तालिका-4.9: ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि नियंत्रण केंद्रों में प्रतिक्रिया समय**

| वर्ष | मामलों की संख्या | निर्धारित समय के भीतर प्रतिक्रिया किए मामलों की संख्या (20 मिनट तक) (%) | विलंबित प्रतिक्रिया के मामलों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21 - 30 मिनट | 31 - 40 मिनट | 41 - 50 मिनट | 50 मिनट से अधिक | विलंबित प्रतिक्रिया के मामलों की कुल संख्या (%) |
| **2018-19** | 1219 | 658 (54%) | 247 | 134 | 74 | 106 | 561 (46%) |
| **2019-20** | 1101 | 700 (64%) | 178 | 90 | 64 | 69 | 401 (36%) |
| **2020-21** | 1012 | 620 (61%) | 173 | 90 | 65 | 64 | 392 (39%) |
| **योग** | **3332** | **1978 (59%)** | **598** | **314** | **203** | **239** | **1354 (41%)** |

अग्नि की घटनाओं पर प्रतिक्रिया में विलम्ब, जान-माल के नुकसान/ क्षति को रोकने में अग्निशमन के प्रयासों की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

नमूना-जांच किए गए अग्नि नियंत्रण केंद्रों ने बताया कि अग्नि-घटित स्थलों तक पहुंचने में विलम्ब मुख्य रुप से अग्नि नियंत्रण केंद्रों की घटनास्थल से अधिक दूरी, भौगोलिक परिस्थितियों, खराब सड़के, यातायात जाम आदि के कारण हुई। इससे पता चलता है कि विभाग ने भौगोलिक परिस्थितियों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन केन्द्रों के वितरण एवं स्थान का चयन समुचित योजना/ युक्तिसंगत करके नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशा-निर्देशों में पहले ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कारकों पर विचार कर प्रतिक्रिया समय यथा निर्धारित किया गया था।

## 4.7 निष्कर्ष

वर्ष 2016 की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई सिफारिशों के छः वर्ष व्यतीत होने के बावजूद आपदाओं को कम करने में अग्निशमन विभाग की तैयारियों में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। विभाग ने न तो हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम में संशोधन किया एवं न ही लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद अग्निशमन सेवा अधिनियम को लागू करने के लिए कोई नियम तैयार किए। अधिनियम के प्रावधान कमजोर थे क्योंकि उनमें अनुपालन को लागू करने के प्रावधान एवं गैर-अनुपालन को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान नहीं थे। नियोजन में कमी थी क्योंकि विभाग ने आग की दृष्टि से संवेदनशील भवनों का कोई जोख़िम विश्लेषण नहीं किया था और न ही खतरनाक गतिविधियों में लगे उद्योगों का कोई डाटाबेस तैयार किया था। राज्य में ऊंचे भवनों का कोई डाटाबेस नहीं था, यद्यपि लोक लेखा समिति ने ऐसे भवनों की

पहचान करने एवं लेखांकन करने की सिफारिश की थी जो आग की दृष्टि से संवेदनशील हैं। विभाग 2019-20 के दौरान अपने योजनागत निधि का 39 प्रतिशत तक खर्च नहीं कर पाया। अन्य वर्षों में भी योजनागत एवं आयोजनेत्तर दोनों निधियों में बचत हुई जो कमज़ोर वित्तीय प्रबंधन का संकेत देती है। अपेक्षित संख्या में अग्निशमन चौकियां/ स्टेशन खोले नहीं गए थे। अग्निशमन के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी थी। इसके अतिरिक्त परिचालन अग्निशमन कर्मियों के मुख्य पदों में कमी थी। अपेक्षित रूप से, अग्निशमन सेवाओं का प्रतिक्रिया समय निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किए गए (मार्च 2022) एवं उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

## 4.8 सिफारिशें

- ***जोखिम भरे उद्योगों एवं आग की दृष्टि से संवेदनशील भवनों की पहचान करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण करें एवं ऐसे क्षेत्रों/ भवनों में जोख़िम को कम करने के लिए एक कार्य-योजना बनाएं।***
- ***अग्निशमन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य मंजूरी, प्रवेश एवं निरीक्षण तथा जुर्माना व शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में अधिक शक्तियां प्रदान करें।***
- ***विभाग मानदंडों का अनुपालन करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों के बुनियादी ढांचे को उन्नत एवं जनशक्ति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।***